श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/ अन्वे./पांच/2015/40488-737, इन्दौर, दिनांक 29-9-2022

अधिसूचना

विषयः– न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2022 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 4 (सी)1–2013/अ–16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुर्नरीक्षित की गई थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66 ,68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक प्रभावशील की गई है। गत छः माही का औसत 358 रहा है अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक के औसत के ऊपर (366–358)= 08 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगीः–

अनुसूची –अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है।

(आकडें रूपयों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
कुशल	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00

अनुसूची –ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकंडे रूपयो में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
मजदूर	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00
पेकर्स, पट्टी पेकर सीपर	6705.00	257.88	3125.00	120.19	9830.00	378.08	378.00
मुनीम,लेखाकार क्लर्क आदि	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
रालर्स, मिस्त्री,पाईन्टर्स	9522.00	366.23	3125.00	120.19	12647.00	486.42	486.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00
कटर्स	10155.00	390.57	3125.00	112.50	13280.00	510.77	511.00

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकंडे रूपयो में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
लिपिकिय वर्ग							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00
कुशल श्रमिक				120.19			
श्रेणी एक	9685.00	372.50	3125.00	120.19	12810.00	492.69	493.00
श्रेणी दो	9378.00	360.69	3125.00	120.19	12503.00	480.88	481.00
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
अर्धकुशल श्रमिक				120.19			
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00

अनुसूची 'क'

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)
(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	2825.00	94.17	9325.00	310.83	311.00
अर्द्धकुशल	7057.00	235.23	3125.00	104.17	10182.00	339.40	339.00
कुशल	8435.00	281.16	3125.00	104.17	11560.00	385.33	385.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	3125.00	104.17	12860.00	428.67	429.00

अनूसूची "द" (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2022 छः माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1107 है इससे पूर्व की छः माही का औसत 1077 था जिसके कारण 30 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगाः–

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.33	2034.00	67.80	7384.00	246.13	246.00

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) के औसत के ऊपर 2723 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक निम्नानुसार रहेगीः–

अनुसूची (ई)

बीडी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	27.23	101.23

नोटः– एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 101 रूपये 23 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिको को बोनस पेटे 8 रूपये 85 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 06 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रूपये 62 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 125 रूपये 76 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 21 रूपये 24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में श्रमिकों सें 10 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रूपये 62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 104 रूपये 52 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता भूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत छः माही में 358 उपभोक्ता सूचकांक होने पर कुल 08 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगीः–

अनुसूची (एफ)

अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरे	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण अगरबत्ती	रू. 21.40	रू. 31.25	रू. 52.65
सुगंधित अगरबत्ती	रू. 22.00	रू. 31.25	रू. 53.25

स्पष्टीकरण–1.म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड–अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्ड–अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
4. **स्पष्टीकरणः–** राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई,2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञप्ति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक **1.10.2022** से रू 200.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सुचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी,2022 से जून,2022 तक की छः माही में कुल सूचकांक का औसत 366 रहा है । इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 08 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रति बिन्दु की दर 8X25 = 200.00 रूपये (दो सो रूपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार 1.10.2022 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रूपये. 3125.00 प्रतिमाह अथवा 120.19 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 1 अक्टोबर, 2022 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 9325.00 या प्रतिदिन रूपये 358.65, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 10182.00 या प्रतिदिन रूपये 391.62, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 11560.00 या प्रतिदिन रूपये 444.62 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 12860.00 या प्रतिदिन रूपये 494.62 देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1107–1077)= 30 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह 180.00 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 7384.00. या प्रतिदिन रूपये 246.13 की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 1.10.2022 से 31.03.2023 तक के लिए देय होगा।

अगरबत्ती नियोजन में गत छः माही का औसत 366 रहा है। जो इसके पूर्व की छः माही के औसत 358 से ज्यादा है इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (366–241)=125 औसत बिन्दुओं अगरबत्ती नियोजन में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत 08 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण 1.10.2022 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रू. 52 रूपये 65 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए 53 रूपये 25 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 101 रूपये 23 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिको को बोनस पेटे 8 रूपये 85 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 05 रूपये 06 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रूपये 62 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 125 रूपये 76 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 21 रूपये 24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में श्रमिकों सें 10 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रूपये 62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 104 रूपये 52 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

स्पष्टीकरणः–

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड–अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक : 1/11/अन्वे./पांच/2015/40738-40, इन्दौर, दिनांक 29/9/2022

प्रतिलिपि :–

(1) संचालक, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(2) अपर संचालक, जन संपर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर